तेन्दू पत्ता

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	F.25(61) FD(R&A I) Gr. III/68	23.1.1974	Delegation of Financial powers to the officers of Forest Department. Nationalisation of Tendu Leaves Trade in Rajasthan State.	217
2.	राजपत्र भाग 4 (ग), उपखण्ड (11)	31.1.1974	विज्ञप्ति	219
3.	F6(6)73-74/Acctts./CCF/B/1354 -60	31.1.1975	Amendment in General Financial & Acctts. Rules Vol. 1	220
4.	एफ14(14)वन उपज/तेप/मुवसं/393	14.2.1986	तेन्दू पत्ता संग्रहण के संबंध में क्रेता द्वारा संधारित किये जाने वाले प्रपत्र।	221
5.	एफ14(14)वन उपज/ तेप/मुवसं/417	14.2.1986	फड़ों पर तेन्दू पत्ता की जांच।	221
6.	एफ14(14)वन/उपज/ मुवसं/439	14.2.1986	तेन्दू पत्ते के क्रेताओं को प्रतिभूति राशि की वापसी।	222
7.	एफ( )89/ प्रमुवसं/714-50	9.5.1989	तेन्दू पत्ता इकाइयों में नियुक्त क्रेताओं को कार्य आदेश दिये जाने बाबत्।	223
8.	एफ10(38)वन/89	30.11.91	तेन्दू पत्ता अपसेट प्राईस की नीति निर्धारण समिति की सिफारिश की क्रियान्विति।	224
9.	एफ(7)वित्त/साविलेनि/ 87 परिपत्र संख्या 23	26.5.1992	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन बाबत्।	226
10.	प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 जयपुर	19.3.1997	कृषि उपज मण्डी अधि0 1961 की सं. 38 की धारा 40 में क्र.सं. 9 पर अंकित ''वन उपज'' के अन्तर्गत विद्यमान अभिव्यक्ति ''तेन्दू के पत्ते'' को विलोपित किए जाने के सम्बन्ध में।	226
11.	एफ( )वउ/प्रमुवसं/ 2940- 43	10.11.1998	तेन्दू पत्ता योजना के कार्यों के सम्पादन हेतु दिशा-निर्देश।	227
12.	एफ( )वउ/प्रमुवसं/813-43	8.7.1999	तेन्दू पत्ता योजना के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।	228

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
13.	एफ( )वउ/प्रमुवसं/250	10.5.2000	तेन्दू पत्ता क्रेताओं को बैंक गारंटी के संबंध में।	229
14.	एफ4( )2000/प्रावै2/ प्रमुवसं/तेपयो /484	15.3.2002	तेन्दू पत्ता संग्रहण काल में परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में।	230
15.	एफ4( )02/वउ/प्रमुवसं/3288	27.8.2002	तेन्दू पत्ता इकाई में क्रेता स्वयं के व्यय से तेन्दू वृक्षों का कर्षण कार्य (कल्चरल ऑपरेशन) के संबंध में।	231
16.	एफ4( )प्रमुवसं/02/वउ/ 4876-81	29.1.2003	अकाल राहत कार्यों में तेन्दू वृक्षों का कर्षण कार्य कराये जाने बाबत्।	233
17.	एफ4(7)2000/प्रावै/प्रमुवसं/तेपयो/ 211	16.2.2006	तेन्दू पत्ता संग्रहण में श्रमिकों द्वारा पत्तों की गड्डी अत्यधिक कम पत्ते लाना व समय पर परिवहन अनुज्ञा पत्र न जारी करना तथा समय पर अमानत राशि न लौटाने के क्रम में निर्देश।	234
18.	एफ( )प्रमुवसं/991	12.5.2008	तेन्दू पत्ता व्यापारियों को पंजीकरण नवीनीकरण इकरारनामा, टी.पी. आदि के संबंध में दिशा- निर्देश।	235

Copy of the letter No. F.25(61) FD(R&A I) Gr. III/68 dated 23.1.1974 from the Secretary to Government, Finance (Revenue & Accounts 1) Department, to the Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur F.14(21)74/cont/CCF/7978-8010 dated 9.12.1974

Sub.: Delegation of Financial powers to the officers of Forest Department Nationalisation of Tendu Leaves Trade in Rajasthan State.

Sir, With the reference to your letter No. 8778 dated 22.12.1973 addressed to Secretary to Government, Revenue (Gr. VIII) Department Jaipur on the above subject, I am directed to convey sanction of the Governor to the delegation of financial powers to the officers of Forest Department to the extent indicated below :-

S.No.	Nature of power	Designation of officers	Extent to which the powers have been delegated
1.	To fix the purchase Rate of Tendu Leaves for the season.	Secretary to Govt. in the Administration Deptt. after considering the recommendation of the Advisory Committee constituted under article 6 of Rajasthan Tendu Leaves (Regulation of Trade) Ordinance, 1973	Full powers
2.	To give technical and administrative sanction of estimates of Units being worked departmentally.	P.C.C.F.	Full powers
3.	To accept the tenders/bids in open auction for sale of leaves	Committee consisting the following:- 1. Chief Conservator of Forests, (Tendu Leaves) 2. Conservator of Forests (Concerned) 3. Divisional Forest Officer / Dy. Conservator of Forests (Concerned)	Full powers subject to the condition of the approval of the:- a) Principal Chief Conservator of Forests under intimation to the Government, if maximum obtained price is more than the Reserve price. b) Government, if the maximum obtained price is less than the Reserve price.

S.No.	Nature of power	Designation of officers	Extent to which the powers have been delegated
4.	To hire trucks / other conveyances / Godowns and Depots at the competitive rates provided that the expenditure is within the sanctioned estimates.	D.F.O.	Full powers.
5.	To sanction work charge staff and to make appointments there to when specific provision of states in the sanctioned estimates.	P.C.C.F.* C.F. D.F.O.	Upto Rs. 300/- P.M. consolidated pay Upto Rs. 150 P.M. Consolidated pay Upto Rs. 100/- P.M. consolidated pay.
6.	To sanction work advances where the work is to be get done through individual labourers / agents.	Range Officer D.F.O.	Upto Rs. 100/- to each labourer subject to maximum of Rs. 5000/- (Rupees Five thousand in one unit against proper security
	Note :- These advances shall be adjusted at the time of final accounts of the concerned Range officer / D.F.O. personally responsible for its recovery Rs. 10000/- per annum.		
7.	To repair motor vehicles subject to fulfillment of the prescribed conditions viz. obtaining N.A.C. or exemption certificate from the State Motor Garage Deptt.	P.C.C.F.* C.F. D.F.O.	Rs. 10000/- per annum. Rs. 5000/- per annum. Rs. 2000/- per annum.
8.	To make petty purchases of stationary and to get printing work domestically.	D.F.O. (concerned Division)	Upto 100/- in each case subject to limit of Rs. 1000/- per annum.
9.	To issue advertisements of tender notice and sale notices in local papers.	P.C.C.F.* C.F. D.F.O.	Upto Rs. 200/- in each case. Upto Rs. 100/- in each case. Upto Rs. 50/- in each case.
10.	To purchase stores in accordance with the relevant rules subject to the sanctioned estimates.	P.C.C.F.* C.F. D.F.O.	Full powers. Upto Rs. 50000/- per annum. Upto Rs. 10000/- per annum.

S.No.	Nature of power	Designation of officers	Extent to which the powers have been delegated
11.	To fix the rate of commission payable to the commission agent for collecting leaves.	Committee consisting of the following : C.F. (Tendu leaves) C.F. (Territorial) DFO (concerned Division)	Full powers but the rate of commission shall not exceed 5% of the purchase price.
12.	To purchase petty stores for immediate use covered by rate contract.	D.F.O.	Upto Rs. 100/- in each case.

* राजस्थान सरकार आदेश क्रमांक नम्बर एफ1 (7) FD/GF&AR/87 dated 27.1.1992 से प्रतिस्थापित।

** आदेश क्रमांक F10(7)Forest/2003 dated 22 January, 2004 से प्रतिस्थापित।

The Forest Department will maintain proforma accounts in this respect on commercial lines.

By order,
Sd/-
(B.L. PANAGARIYA)
Dy. Secretary to Government

(प्रथमवार) राजस्थान राजपत्र भाग 4(ग), उपखण्ड (II) (दिनांक 31.1.74 में प्रकाशित हुआ) राजस्व (ग्रुप-8) विभाग की विज्ञप्ति जयपुर का पत्र, जनवरी 31.1.1974

एस.ओ.167: राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार निम्नांकित अधिकारियों की शक्तियाँ उनके सामने अंकित पदाधिकारियों को प्रत्यायोजन करती हैं :-

क्रम सं.	अधिकार का विवरण	पदाधिकारी
1.	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 3 के अन्तर्गत इकाइयों के गठन करने के अधिकार	मुख्य वन संरक्षक (पत्ता तेन्दू) योजना
2.	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 4 के अन्तर्गत अभिकर्ता की नियुक्ति के अधिकार	वन संरक्षक (प्रादेशिक)
3.	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 5 के अन्तर्गत तेन्दू पत्तों के क्रय एवं परिवहन पर निबन्धन के अधिकार	मण्डल वन अधिकारी
4.	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 8 के अन्तर्गत डिपो खोलना एवं डिपो पर मूल्य सुविधा आदि का प्रकाशन के अधिकार	मण्डल वन अधिकारी

क्रम सं.	अधिकार का विवरण	पदाधिकारी
5.	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 10 के अन्तर्गत तेन्दू पत्ते उपजानेवालों के पंजीकरण का अधिकार	मण्डल वन अधिकारी
6.	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 11 के अन्तर्गत बीड़ी बनाने वाले एवं तेन्दू पत्तों को निर्यात करने वालों के पंजीकरण के अधिकार	मण्डल वन अधिकारी
7.	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 13 के अन्तर्गत तेन्दू पत्तों की खुदरा बिक्री करने के लाइसेन्स देने के अधिकार	मण्डल वन अधिकारी
8.	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 12 के अन्तर्गत तेन्दू पत्तों की बिक्री एवं व्ययन के अधिकार।	कमेटी जिसके निम्न अधिकारी सदस्य होंगे 1. मुख्य वन संरक्षक, पत्ता तेन्दू 2. वन संरक्षक (प्रादेशिक वृत्त) 3. सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी
9.	राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश की धारा 19 के अन्तर्गत अपराधों का शमन	मण्डल वन अधिकारी

(संख्या प.2.(6) (16) रा. 8173)
राज्यपाल के आदेश से
डी.सी.जोसफ
राजस्व सचिव

' राजस्थान सरकार, वन विभाग अधिसूचना क्रमांक प.10(6)वन/2003 दिनांक 20 अक्टूबर, 2003 से प्रतिस्थापित।

Copy of ORDER No. F15(13)FD(R&AI) 65 dated 6.11.1974, from the Dy. Secretary to Government, Finance (Revenue & Accounts-I) Department, Rajasthan, Jaipur to All Heads of Departments. Office of the Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur endorsement No. F6(6) 73-74/Acctts/CCF/B/1354-60 dated 31 January, 1975

Sub.: Amendment in General Financial & Acctts. Rules Vol. 1

The Governor has been pleased to order that a new item No. (1) in Appendix V of the General Financial and Account Rules, Vol. 1 be added namely :-

(1) Conservator of Forests (Territorial) to sign the agreement bounds for the sale of tendu leaves units."

राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्र क्रमांकः एफ14(14)वन उपज/तेप/मुवसंज/394 दिनांक 14.2.1986

विषय :- तेन्दू पत्ता संग्रहण के संबंध में क्रेता द्वारा संधारित किये जाने वाले प्रपत्र।

महोदय,

राजस्थान बीड़ी निर्माता एवं तेन्दू पत्ता व्यापार संघ ने अपने मांग पत्र दिनांक 9.1.1986 से मांग की है कि तेन्दू पत्ता संग्रहण करते समय विभाग द्वारा भराये जाने वाले ऐसे प्रपत्रों को भरवाना बन्द कराया जावे जिनकी आवश्यकता नहीं हो और जिनके भरने से विभिन्न सूचनायें दोहरायी जाती हैं। इस संबंध में तेन्दू पत्ता व्यापारियों ने तेन्दू पत्ता बिक्री एवं व्ययन समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 24.1.1986, 28.1.1986 एवं 4.2.1986 को कोटा, उदयपुर व अजमेर क्रमशः में विस्तृत से वार्ता की है।

वर्तमान में तेन्दू पत्ता का विक्रय बिलमुक्ता (लम्बे-सम) प्रणाली से करने के कारण पूर्व से प्रचलित कुछ प्रपत्र अनावश्यक हो गये। इसके सम्बन्ध में कुछ प्रपत्रों का संधारण बन्द करने के संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिये गये हैं। संघ की मांग व उनसे हुई वार्ता के अनुसार संधारित होने वाले प्रपत्रों पर पुनर्विचार करके यह तय किया गया है कि क्रेता से अब मात्र दैनिक संग्रहण का फार्म सं. 6, साप्ताहिक संग्रहण व निकासी (पुडवार) का फार्म सं. 10 तथा अन्तिम प्रतिवेदन ही पत्ता संग्रहण के सम्बन्ध में भरवाया जा कर प्राप्त किया जावें।

परिवहन मुख्य अनुज्ञा-पत्र उसी स्थिति में जारी किया जावे जबकि क्रेता द्वारा उक्त फार्म सं. 6 व 10 में सम्पूर्ण सूचना यह अनुज्ञा पत्र जारी करवाने के प्रार्थना पत्र देने के पूर्व अथवा साथ में प्रस्तुत कर देवें।

कृपया उक्त सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश देवें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार, वन विभाग, मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ14(14)वन उपज/ तेप/मुवसं/417 दिनांक 14.2.1986

विषय :- फड़ों पर तेन्दू पत्ता की जांच।

महोदय,

वर्ष 1984 से पूर्व तेन्दू पत्ते का विक्रय प्रति मानव बोरा की दर से किया जाता था। इस प्रथा से विभाग के लिये फड़ों पर तेन्दू पत्ता की जांच, यहां तक कि पत्तों की गिनती करना नितान्त आवश्यक था। अब तेन्दू पत्ते का विक्रय बिल मुक्ता (लमसम) प्रणाली से होने के कारण, राजस्थान बीड़ी निर्माता एवं तेन्दू पत्ता व्यापारी संघ ने अपने मांग पत्र दिनांक 9.1.1986 से यह मांग की है कि बोरों में गड्डियों की गिनती व गड्डियों में पत्तों की पाबन्दी पर रोक लगायी जावे।

उक्त प्रकरण में तेन्दू पत्ता व्यापारियों द्वारा तेन्दू पत्ता बिक्री एवं व्ययन समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 2.1.1986, 28.1.1986 एवं

4.2.1986 को कोटा, उदयपुर व अजमेर क्रमशः में विस्तृत वार्ता की गई है।

उक्त प्रकरण में यह निश्चित किया जाता है कि फड़ों पर पत्ता बोरों में भरने से पूर्व पत्तों की जांच पूर्वानुसार जारी रखी जावे ताकि संग्रहित होने वाले पत्तों की संख्या का सही-सही आंकलन हो सके और श्रमिकों को निर्धारित निश्चित दर से कम भुगतान नहीं होने की पुष्टि विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा की जा सके। बोरों में पत्ते भरने के पश्चात् बोरे खुलवाकर अथवा फड़वाकर पत्तों की जांच करने से पत्तों की क्षति होने का अन्देशा रहता है और क्रेता को अनावश्यक परेशानी हो सकती है। अतः यह निश्चित किया जाता है कि पत्ता बोरों में भरने के पश्चात् पत्तों की जांच तब ही की जावे जब इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा कोई शंका उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जांच जिससे बोरे खुलवाने की आवश्यकता हो, वह जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी से निम्न स्तरीय कर्मचारी द्वारा नहीं की जावे।

उक्त सम्बन्ध में कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश देवें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर, राजस्थान

राजस्थान सरकार, वन विभाग, मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ14(14)वन/उपज/ मुवसं/439 दिनांक 14.2.1986

विषय :- तेन्दू पत्ते के क्रेताओं को प्रतिभूति राशि की वापसी।

महोदय,

राजस्थान बीड़ी निर्माता एवं तेन्दू पत्ता, व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने दिनांक 4.2.1986 को अजमेर में बिक्री एवं व्ययन समिति के सदस्यों के समक्ष यह मांग रखी कि उनके ठेका समाप्त होने के पश्चात् उन्हें उनके ऊपर लगाये गये प्रतिकर की जानकारी तत्काल दी जावे तथा प्रतिभूति राशि अविलम्ब लौटायी जावे। इसमें विलम्ब होने का मुख्य कारण उन्होंने क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा विलम्ब से अन्तिम प्रतिवेदन मण्डल वन अधिकारियों को प्रस्तुत करना बतलाया।

उक्त सम्बन्ध में कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि क्रेता अपने अन्तिम प्रतिवेदन की अग्रिम प्रति मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत कर देवें ताकि मण्डल वन अधिकारी वांछित प्रतिवेदन शीघ्र ही क्षेत्रीय वन अधिकारियों से प्राप्त कर सकें। इसके साथ कृपया मण्डल वन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे देवें कि ठेका समाप्ति/अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक माह की अवधि के भीतर भीतर सम्बन्धित क्रेताओं की धरोहर राशि के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाकर लौटाने योग्य राशि लौटा दी जावे।

ठेकेदार के आवेदन करने पर उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट से बैंक कमीशन व रजिस्टर्ड ए.डी. का व्यय काट कर लौटाई जा सकती है।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार, वन विभाग अपर मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ( )89/ प्रमुवसं/714-50 दिनांक 9.5.1989

विषय :- तेन्दू पत्ता इकाइयों में नियुक्त क्रेताओं को कार्य आदेश दिये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके वन मण्डल की तेन्दू पत्ता इकाइयों की स्वीकृति उपरान्त सिक्यूरिटी राशि जमा होने एवं इकरारनामों के सम्पादन के पश्चात् तेन्दू पत्ता संग्रहण हेतु क्रेताओं को जो कार्य आदेश दिये जाते हैं, उसमें निम्नांकित बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से अवश्य सम्मिलित किया जावे :-

1. सर्वप्रथम क्रेता को उक्त इकाई की समस्त फड़ों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पत्ता संग्रहण की दर को एक बोर्ड पर लिखवा कर प्रदर्शित किया जावे जिससे श्रमिकों को पत्ता संग्रहण दर का समुचित ज्ञान रहे।
2. फड़ पर 50 पत्तों की गड्डी का सैम्पल प्रदर्शित किया जाना है।
3. प्राप्त पत्तों की गड्डियों को प्रत्येक तिथिवार अलग-अलग जमाया जावे।
4. प्रत्येक फड़ पर रेंज कार्यालय से प्राप्त फार्म नम्बर 6 का संधारण प्रतिदिन करवाना है, इसमें श्रमिकों से भुगतान के साथ ही लघु हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी प्राप्त करनी है जिससे किये गये चुकारे एवं संग्रहित पत्तों की मात्रा की निरन्तर जानकारी प्राप्त होती रहे।
5. संग्रहित पत्तों में 5 पत्तों की कमी या बेशी के संबंध में क्रेता कोई आपत्ति नहीं करेगा, किन्तु यदि गड्डी में पत्तों की मात्रा के संबंध में श्रमिकों एवं क्रेता के मध्य किसी भी तरह का कोई विवाद होगा तो उस पर रेंज अधिकारी (सम्बन्धित) द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
6. संग्रहित पत्तों को बोरों में भरते समय बोरों पर बोरा क्रमांक, गड्डियों की संख्या, फड़ व इकाई का नाम आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।

यदि उपरोक्त समस्त कार्यवाहियां क्रेता द्वारा समुचित रूप से सम्पादित नहीं की जावेगी तो यह क्रेता इकरारनामे की धारा-3 एवं राज्यादेशों का उल्लंघन माना जावेगा एवं इकरारनामे की शर्त संख्या 4(ज) के अनुसार दण्डनीय होगा।

अतः आप उपरोक्त बिन्दुओं का क्रेता कार्य आदेश में सम्मिलित कर अवगत करवायेंगे।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
अपर मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ10(38)वन/89 जयपुर, दिनांक 30.11.91

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

विषय :- तेन्दू पत्ता अपसेट प्राईस की नीति निर्धारण समिति की सिफारिश की क्रियान्विति।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ( )प्रमुवसं/91-92/वउ/1026 दिनांक 26.8.1991

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के आदेश संख्या प.10(38)वन/89 दिनांक 9.5.91 द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर वित्त विभाग द्वारा उनके आईडी. नं.2594/एफ.सी.एस दिनांक 27.9.91 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। तदनुसार सिफारिशों की समीक्षा के उपरान्त लिये गये निर्णयों के क्रम में निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

(क) तेन्दू पत्ता इकाइयों का नवीनीकरण :-

1. समिति की सिफारिश के आधार पर तेन्दू पत्ता, इकाइयों के चयन की नवीनीय की प्रणाली को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है। सम्बन्धित नियम निविदा की शर्तों व इकरारनामे में सम्बन्धित प्रावधानों को विलोपित किया जावे।
2. इस निर्णय के अनुरूप वर्ष 1992-93 की तेन्दू पत्ता इकाइयों का व्ययन नवीनीकरण प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जावे।

(ख) तेन्दू पत्ता इकाइयों का रिजर्व प्राईस का निर्धारण :-

तेन्दू पत्ता इकाइयों के व्ययन से पूर्व निर्धारित होने वाली ''अपसेट प्राईस'' को अब भविष्य में निर्णयानुसार ''रिजर्व प्राइस'' के नाम से जाना जावेगा।

चूँकि रिजर्व प्राईस निर्धारण करना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है एवं इसे और अधिक प्रभावशाली बनाये जाने की आवश्यकता है। अतः निम्न समिति रिजर्व प्राईस निर्धारण हेतु गठित की जाती है :-

(1)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	– अध्यक्ष
(2)	अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)*	– सदस्य
(3)	वित्तीय सलाहकार**	– सदस्य
(4)	मुख्य वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता, जयपुर	– सदस्य
(5)	वन संरक्षक सम्बन्धित प्रादेशिक पूल	– सदस्य सचिव
(6)	सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक	– सदस्य

(2) रिजर्व प्राईस निर्धारण करते समय उक्त समिति निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखेगी :-

(क) इकाइयों के पत्ते की किस्म एवं मात्रा।

(ख) प्रचलित बाजार भाव राजस्थान में पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश एवं गुजरात में।

(ग) त्रि-वार्षिक औसत आय।

(घ) समीपवर्ती राज्यों मध्यप्रदेश एवं गुजरात में तेन्दू पत्ता संग्रहण हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया एवं उसका राजस्थान में संभावित प्रभाव।

(च) तेन्दू पत्ता संग्रहण की दर में वृद्धि।

समिति द्वारा तय किये जाने वाली न्यूनतम रिजर्व प्राईस गत वर्ष में प्राप्त राशि से कम नहीं होगी किन्तु यदि कुछ परिस्थितिवश न्यूनतम रिजर्व प्राईस इससे भी कम निर्धारित करने की सिफारिश समिति करती है तो ऐसे न्यूनतम रिजर्व प्राईस की निविदायें आमंत्रित करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

रिजर्व प्राईस को मौजूदा प्रणाली की तरह गोपनीय रखते हुए सदस्य सचिव द्वारा राज्य सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को व्ययन करने से पूर्व सूचित करना होगा।

तेन्दू पत्ता इकाइयों के व्ययन हेतु सीलबन्द निविदायें न्यूनतम राशि रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त नहीं होती हैं तो ऐसी इकाइयों का व्ययन खुली नीलामी द्वारा किया जाना चाहिये। इकाइयों में निविदा / खुली नीलामी में उच्चतम राशि रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त होती है, उसको बिक्री एवं व्ययन समिति की सिफारिश पर अनुमोदन करने का अधिकार पूर्ववत प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दिया जाता है।

नीलामी में जिन इकाइयों में उच्चतम राशि निर्धारित रिजर्व प्राईस से कम प्राप्त होती हैं तथा उचित कारणों से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु सिफारिश करते हैं तो ऐसी इकाइयों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति राज्य द्वारा ही प्रदान की जायेगी।

(स) तेन्दू पत्ता श्रमिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों को सुविधा :-

वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(38)वन/89 दिनांक 17.1.1991 के द्वारा वर्ष 1991 में बीड़ी श्रमिक सहकारी संघ/समितियों को यदि उनके द्वारा उच्चतम बोली दी जाती है तो 10 प्रतिशत राशि कम कर कार्य करने की स्वीकृति दी गयी है। यह सुविधा वर्ष 1992-93 से समाप्त की जाती है। राज्य में कई स्थानों पर तेन्दू पत्ता संग्रहण श्रमिकों की पंजीकृत समितियां भी यह सुविधा प्राप्त करना चाहती हैं। अतः तेन्दू पत्ता श्रमिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, बीड़ी श्रमिक सहकारी समितियों एवं राजस्थान सहकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ लिमिटेड को तेन्दू पत्ता इकाइयों पर उच्चतम निविदा/नीलामी में उच्चतम बोली स्वीकृति योग्य दिये जाने पर केवल 5 प्रतिशत राशि कम कर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन सहकारी समितियों को यह सुविधा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह यह कार्य स्वयं करेंगे तथा इन सहकारी समितियों एवं संघ पर अन्य ठेकेदारों के अनुरूप ही इकरारनामे व निविदा शर्तें लागू होंगी।

कृपया उपरोक्त निर्णयों के आधार पर संबंधित नियमों / आदेशों में संशोधन का प्रारूप इस विभाग को तुरन्त भिजवाने का कष्ट करें। चूँकि इन संशोधन में कुछ समय लगने की संभावना है। अतः वर्ष 1992-93 के तेन्दू पत्ता इकाइयों का व्ययन करने हेतु निविदायें आमन्त्रित करने की कार्यवाही तुरन्त राज्य सरकार से शर्तें अनुमोदित कराकर आरम्भ कर दी जावें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
(एन.एन.तनखा)
उप शासन सचिव

**राजस्थान सरकार, वन विभाग आज्ञा क्रमांक प0(1)वन/99 दिनांक 15.4.2000 से प्रतिस्थापित।

*राजस्थान सरकार, वन विभाग आज्ञा क्रमांक प10(38)वन/89 दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 से प्रतिस्थापित।

राजस्थान सरकार, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, के आदेश क्रमांकः प1(7)वित्त/साविलेनि/ 87 जयपुर दिनांक 26.5.1992 परिपत्र संख्या 23,

आदेश

विषय :- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन बाबत्।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में निम्नलिखित संशोधन करने के आदेश एतद् द्वारा प्रदान करते हैं :-

The following shall be added as Note 4 below existing Note 3 under Rule 419 of the said rules:-

Note-4 The purchasers of Tendu Patta Leaves/Units may continue to render Security Deposit 10% in cash (Bank Drafts) and 15% in the form of Bank Guarantee as per condition of their agreement in the Forest Department."

आज्ञा से,
हस्ताक्षर/-
उप शासन सचिव,

राजस्थान सरकार, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, की अधिसूचना क्रमांक प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 जयपुर, दिनांक 19.3.1997

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1961) की धारा-40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की संलग्न सूचियों में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

अर्थात् :- संशोधन :- उक्त अधिनियम की संलग्न अनुसूची में क्रम संख्या 9 पर अंकित शीर्षक 'वन उपज' के अन्तर्गत विद्यमान अभिव्यक्ति ''तेन्दू के पत्ते'' को विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,
हस्ताक्षर/-
(सी.एस.राजन)
शासन सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, वन भवन, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ( )वउ/प्रमुवसं/ 2940- 43 दिनांक 10.11.1998

विषय :- तेन्दू पत्ता योजना के कार्यों के सम्पादन हेतु दिशा-निर्देश

महोदय,

हाल ही में वन मण्डल बारां (पूर्व) में तेन्दू पत्ता राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये निम्न प्रकार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैंः-

(1) तेन्दू पत्ता व्यापारियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क/निविदा शुल्क/या अन्य पेटी रकम जो जी.ए. 55 से कार्यालय में जमा होती है, उसकी रसीद मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा ही जारी की जाये। इसका पूर्ण ध्यान रखा जावे कि जी.ए. 55 से जमा राशि नियमानुसार समय पर चालान से बैंक में जमा करवाई जाकर उसका लेखों में समायोजन होवे।

(2) निविदा/नीलामी में क्रेताओं द्वारा उच्चतम बोली दिये जाने पर बयाने की 10 प्रतिशत राशि निविदा निबन्धन की शर्त सं. 6(1) के अनुसार डिमाण्ड ड्राट द्वारा प्राप्त की जावे। ड्राफ्टों का ड्राफ्ट रजिस्टर में इन्द्राज कर बैंक में चालान से शीघ्र जमा करवा कर लेखों में समायोजन किया जाये।

(3) क्रेताओं से इकाइयाँ/पत्तों की विक्रय राशि नियमानुसार निर्धारित तिथि को प्राप्त की जावे। विक्रय राशि जी.ए.-55 से जमा नहीं की जावे। यह राशि निविदा निबन्धन की शर्त सं. 20 की उपशर्त (1) की शर्त (2) में वर्णितानुसार क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट अथवा काल डिपोजिट रसीद द्वारा जमा की जावे। ड्राफ्टों का ड्राफ्ट रजिस्टर में इन्द्राज कर बैंक में तत्काल चालान से जमा करवाकर लेखों में समायोजन किया जाये। अंक मिलान का कार्य प्रति माह नियमित रूप से करवाया जावे।

(4) ड्राफ्ट /चैक/नकद राशि को बैंक में जमा कराने का कार्य लेखाकार/क0लेखाकार/कैशियर से संपादित करवाया जाये। वन मण्डल के प्रशासनिक निरीक्षण के समय इसकी जांच की जाये।

(5) तेन्दू पत्ता इकाइयों के विक्रय तथा क्रेताओं से प्राप्त विक्रय राशि/सिक्यूरिटी राशि/बिक्री कर/बैंक गारन्टी तथा इकाई में संग्रहित पत्ते एवं अमानत राशि लौटाने आदि का समस्त विवरण योजनान्तर्गत प्रचलित फार्म नं. 19 की बुक में संधारित किया जावे तथा इसकी समय-समय पर जांच की जावें।

(6) तेन्दू पत्ता के लेखों के संधारण में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पूर्ण पालना की जाये।

(7) तेन्दू पत्ता से प्राप्त राजस्व पर पूर्ण निगरानी संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक एवं वन संरक्षक रखें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ( )वउ/प्रमुवसं/813-43 दिनांक 8.7.99

विषय :- तेन्दू पत्ता योजना के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

इस कार्यालय के निर्देशानुसार तेन्दू पत्ता संग्रहण एवं व्ययन का कार्य कर रहे कुछ वन मण्डलों द्वारा किये गये कार्यों की विशेष जांच करवाये जाने पर तेन्दू पत्ता इकाइयों की विक्रय राशि अथवा अन्य राजस्व प्राप्ति के संबंध में कुछ वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इन प्रकरणों में तेन्दू पत्ता नियमों एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों की पालना नहीं की गयी है। जिससे वित्तीय अनियमितताएं होने की पूर्ण आशंका को मद्देनजर रखते हुए आपको निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, ताकि वित्तीय अनियमितताओं की पुनरावृत्ति ना होवें :-

1. सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम पार्ट-I के नियम 42 में दर्शायेनुसार 500/- से अधिक नकद राशि जी.ए. 55 से कार्यालय में जमा नहीं ली जावे। तेन्दू पत्ता व्यापारियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क/निविदा शुल्क/ या अन्य छोटी रकम जो जी.ए. 55 से कार्यालय में जमा होती है, उसकी रसीद मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक के स्वयं के हस्ताक्षरों द्वारा ही जारी की जावे तथा जी.ए. 55 से जमा राशि को राजस्थान सरकार कोषागार नियम के अनुसार रकम प्राप्ति से आगामी दो कार्य दिवसों में चालान से बैंक में आवश्यक रूप से जमा करवायी जाकर उसका लेखों में समायोजन किया जावे। रकम जमा कराने के चालान पर भी मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक के स्वयं के हस्ताक्षर हों।

2. तेन्दू पत्ता इकाइयों के विक्रय हेतु निविदा/नीलामी में क्रेताओं द्वारा उच्चतम बोली दिये जाने पर बयाने की 10 प्रतिशत राशि निविदा निबन्धन की शर्त संख्या 6(1) के अनुसार डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा ही प्राप्त की जावे। लेखा नियमों के अनुसार प्राप्त ड्राफ्टों का ड्राफ्ट रजिस्टर में इन्द्राज कर, बैंक में चालान से अगले दिन जमा करवाकर लेखों में समायोजन किया जावे।

3. तेन्दू पत्ता इकाइयों के विक्रय की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् क्रेता नियुक्ति आदेश जारी किये जाने पर निविदा की निबन्धन तथा शर्तों की शर्त संख्या 16(क) के अनुसार 15 दिवस में इकरारनामे में सम्पादित करवाये जावें तथा इकरारनामे सम्पादन के समय ही शेष प्रतिभूति राशि 15 प्रतिशत की बैंक गारन्टी अथवा बैंक ड्राफ्ट से ही प्राप्ति की जावे। निर्धारित अवधि में इकरारनामा सम्पादित नहीं करने तथा सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं करवाने पर निविदा शर्त संख्या 16(क) के अनुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर इकाई का पुनर्व्ययन तत्काल किया जावे।

4. निविदा निबन्धन की शर्त संख्या 16(क) एवं 17(1) के अनुसार नियमानुसार इकरारनामा सम्पादित कर प्रतिभूति राशि जमा करवाये जाने के पश्चात् ही तेन्दू पत्ता संग्रहण करने के कार्य आदेश दिये जावें।

5. क्रेता के इकरारनामे की शर्त संख्या 4(ग) एवं (घ) में वर्णित अनुसार तेन्दू पत्ता इकाइयों की विक्रय राशि निर्धारित समय पर प्राप्त की जावे। शर्त संख्या 1(4)घ(1)(दो) में वर्णित अनुसार सभी क्रेताओं से आंशिक क्रय मूल्य, पूर्ण क्रय मूल्य का 10 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट अथवा डिपोजिट रसीद से निर्धारित अवधि 15 मई तक प्राप्त कर चालान से बैंक में जमा करवा कर लेखों में समायोजन किया जावे।

6. यदि क्रेताओं द्वारा इकरारनामे की शर्त संख्या 4(ग) एवं (घ) (तीन) के स्थान पर शर्त संख्या 4(घ) (5) में वर्णित अनुसार बैंक गारन्टी देने एवं पत्ता प्राप्त करने की सुविधा चाही गई है तो उनसे इकाई की स्वीकृत क्रय राशि के बराबर अर्थात् 100 प्रतिशत की बैंक गारन्टी ली जावे। सभी प्राप्त बैंक गारन्टियों की पुष्टि (confirmation) संबंधित बैंक से आवश्यक रूप से की जावे।

7. बैंक गारन्टी वाले प्रकरणों में इकरारनामे की शर्त संख्या 4(घ)(1)(तीन) में दर्शायी तिथियों को राशि जमा नहीं करवाने पर गारन्टर बैंक से किश्त की राशि वसूली की जावे तथा उक्त में देरी होने पर इकरारनामे की शर्त संख्या 4(घ)(4) के अनुसार 16 प्रतिशत की दर से ब्याज भी गारन्टर बैंक से वसूल किया जावे।

8. क्रेताओं से विक्रय राशि निर्धारित तिथियों को प्राप्त की जावे। विक्रय राशि जी.ए. 55 से सामान्यतः नकद जमा नहीं की जावे। केवल विशेष

परिस्थिति में मण्डल वन अधिकारी के विवेक से ही राशि नकद जमा की जा सकती है। निविदा निबन्धन की शर्त संख्या 20(1)(2) में वर्णित अनुसार रेखांकित बैंक ड्राफ्ट अथवा काल डिपोजिट रसीद अथवा चालान द्वारा जमा करवा कर राशि प्राप्त की जावे। प्राप्त ड्राफ्टों को ड्राफ्ट रजिस्टर में इन्द्राज कर बैंक में चालान से जमा करवा कर लेखों में समायोजन करावें। जमा चालानों का अंक मिलान का कार्य प्रति माह नियमित रूप से कोषालय से किया जावे। जमा का सत्यापन संबंधित कोषाधिकारी से सा0वि0 एवं लेखा नियम पार्ट-I के नियम 59 के अनुसार निश्चित रूप से किया जावे।

9. ड्राफ्ट/चैक/नकद राशि को बैंक में जमा कराने का कार्य लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार के सुपरविजन में फिडिलिटि गारन्टी प्राप्त कैशियर से सम्पादित करवाया जावे तथा समय-समय पर मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा इसकी जांच की जाये।

10. तेन्दू पत्ता इकाइयों के विक्रय तथा क्रेताओं से प्राप्त विक्रय राशि/बिक्रीकर / बैंक गारन्टी तथा इकाई में संग्रहित पत्ते एवं अमानत जमा व लौटाने आदि का समस्त विवरण योजनान्तर्गत प्रचलित फार्म नम्बर 19 की बुक में संधारित किया जावे तथा समय-समय पर जांच की जावे।

11. तेन्दू पत्ता विक्रय के लिए प्रचलित निविदा शर्तों एवं क्रेता के इकरारनामे में बिक्रीकर/आयकर एवं अन्य करों की वसूली हेतु अन्यथा प्रावधान होते हुए भी तेन्दू पत्ता इकाइयों/पत्तों के विक्रय पर संगणित बिक्रीकर/आयकर एवं अन्य कर, उन करों से संबंधित विभागों द्वारा जारी अधिनियमों एवं नियमों के अनुसार ही निर्धारित विधि अनुरूप समय पर वसूल किया जाकर, संबंधित लेखा मद में जमा करवा कर लेखाओं में समायोजन किया जावे। जहां तक सम्भव हो क्रेताओं से संगणित करों की राशि विक्रय राशि से पृथक ड्राफ्ट/चालान से जमा करवा कर प्राप्त की जावे।

12. क्रेताओं से सम्पूर्ण विक्रय राशि, कर, ब्याज एवं शास्ति राशियाँ वसूल होने के पश्चात् ही क्रेता की जमा सिक्योरिटी राशि लौटायी जावे। इससे पूर्व यदि जमा सिक्योरिटी राशि का किसी बकाया राशि के विरूद्ध समायोजन किया जाता है तो निविदा की निबन्धन तथा शर्तों की शर्त संख्या 17(III) में निर्धारित प्रक्रिया अमल में लायी जावे।

13. तेन्दू पत्ता के लेखों के संधारण में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पूर्ण पालना की जावे तथा प्राप्त राजस्व पर संबंधित वन संरक्षक एवं वन मण्डल अधिकारी/उप वन संरक्षक पूर्ण निगरानी रखें।

14. वन मण्डलों के लेख, लेखा संहिता भाग-5 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं वन संहिता के वाणिज्यिक लेखे रखने के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रपत्रों में संधारित किये जावें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भवन, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( )वउ/प्रमुवसं/250 दिनांक 10.5.2000

इस कार्यालय द्वारा तेन्दू पत्ता योजना के कार्यों के सम्पादन हेतु पूर्व में जारी परिपत्र संख्या 813-43 दिनांक 8.7.1999 द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस परिपत्र के निर्देश संख्या 5 के सम्बन्ध में कुछ मण्डल वन अधिकारी गणों को यह भ्रान्ति हो रही है कि तेन्दू पत्ता के समस्त क्रेताओं से स्वीकृत क्रय राशि की 10 प्रतिशत राशि 15 मई तक जमा कराई जानी है और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा मार्गदर्शन भी चाहा जा रहा है। अतः इस क्रम में आपका ध्यान क्रेता के इकरारनामे की ओर आकर्षित कर लेख है कि इसकी शर्त संख्या 4(घ) (5) का यदि गहन अध्ययन किया जावे तो यह स्पष्ट होगा कि उक्त शर्त में दर्ज विवरण अनुसार तेन्दू पत्ता के क्रेताओं को बैंक गारन्टी की सुविधा क्रेता के इकरारनामे की शर्त संख्या 4(ग) एवं (घ) (तीन) के स्थान पर प्रदान की गयी है। जिसकी सुस्पष्ट स्थिति निम्नानुसार उभरती हैः-

(1) क्रेता के इकरारनामे की शर्त 4(ग) तब लागू होती है जब क्रेता, उसके द्वारा राजकीय वन तथा भूमियों से संग्रहित पत्तों को एवं राज्य सरकार उसके पदाधिकारियों या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर उसे (क्रेता को) परिदान हेतु प्रस्तुत पत्तों को, अपने गोदाम में निरापद रखने के लिए इच्छुक नहीं होता तथा उपरोक्त समस्त पत्तों को संग्रहण केन्द्रों से निकासी के इच्छुक होता है तो उसे 4(ग) (एक) एवं (दो) में वर्णित समस्त भुगतान पत्ते की निकासी से पूर्व करने होते हैं। अतः यदि क्रेता इस शर्त संख्या 4(ग) के स्थान पर बैंक गारन्टी की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनसे इकाई की क्रय राशि की 100 प्रतिशत बैंक गारन्टी ली जा सकेगी, जो 15 मई तक प्राप्त की जानी है तथा बैंक गारन्टी की अवधि आगामी 31 मार्च तक की होगी। विक्रय राशि तीन बराबर किश्तों में एक अक्टूबर, 1 नवम्बर तथा 1 दिसम्बर को जर्ये बैंक ड्राफ्ट से प्राप्त की जावेगी।

(2) इकरारनामे की शर्त संख्या 4(घ) तब लागू होती है जब क्रेता उसके द्वारा राजकीय वन तथा भूमियों से संग्रहित एवं राज्य सरकार उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर परिदान हेतु प्रस्तुत तेन्दू पत्तों की समस्त मात्रा को प्रदेश के भीतर गोदाम (मों) में मण्डल वन अधिकारी द्वारा इस विशिष्ठ उद्देश्य से अनुमोदित कराके निरापद रखने के लिए लिखित में सहमत होता है तो :-

(अ) ऐसे क्रेताओं से शर्त संख्या 4(घ) (1) (दो) में वर्णित अनुसार आंशिक क्रय मूल्य 10 प्रतिशत राशि 15 मई तक जरिये ड्राफ्ट जमा ली जावेगी।

(ब) शेष क्रय मूल्य शर्त सं. 4(घ) (तीन) में वर्णित अनुसार तीन बराबर किश्तों में 1 अक्टूबर, 1 नवम्बर, 1 दिसम्बर को प्राप्त की जावेगी।

(स) यदि क्रेता शर्त सं. 4(घ) (5) में वर्णित अनुसार उपरोक्त संख्या 4(घ) (तीन) में वर्णित किश्तों से देय राशि के स्थान पर बैंक गारन्टी की सुविधा उठाना चाहता है तो ऐसे क्रेता को इकाई की विक्रय राशि की 45 प्रतिशत राशि की बैंक गारन्टी जिसकी अवधि 31 मार्च तक होगी, 15 मई तक प्रस्तुत करना होगा। उक्त क्रेता को गोदामीकृत कुल पत्ते में से 1/3 भाग पत्ता मुक्त कर दिया जावेगा। इसके पश्चात् निर्धारित तिथियों अथवा इससे पूर्व प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि जमा करवा कर 1/3 - 1/3 भाग पत्ता प्राप्त कर सकता है। अन्तिम किश्त जमा करवाने पर जमा 45 प्रतिशत राशि की बैंक गारन्टी लौटा दी जावेगी।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के विवेचन से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि जिन प्रकरणों में 100 प्रतिशत राशि की बैंक गारन्टी की सुविधा ली जा रही है, उनमें क्रेता इकरारनामे की शर्त संख्या 4(घ) (1) (दो) स्वतः ही लागू नहीं होती है तथा इस कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के निर्देश संख्या-5 का तात्पर्य भी यही है कि जिस क्रेता द्वारा जिस शर्त का विकल्प अपनाया गया हो, उससे उन शर्तों के अनुरूप विक्रय राशियां/बैंक गारन्टियां समय पर प्राप्त कर नियमानुसार बैंकों में जमा करवाकर लेखाओं में समायोजन किया जाता रहे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ4( )2000/प्रावै2/प्रमुवसं/तेपयो /484 दिनांक 15.3.2002

दिनांक 15.1.2002 को राजस्थान तेन्दू पत्ता व्यापार संघ के प्रतिनिधि मण्डल से हुए विचार-विमर्श के अनुसार उनके द्वारा दर्शायी कतिपय कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार तेन्दू पत्ता नियमों के पालन हेतु निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) टी.पी. जारी करने बाबत् :- तेन्दू पत्ता व्यवसायियों ने अवगत कराया कि मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक गण अवकाश या अन्य कारण से लम्बे समय तक मुख्यालय पर उपस्थित नहीं मिलते, जिससे उनको परिवहन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण लम्बे समय तक उनकी भरी हुई ट्रकों को खड़ा रहना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा व आर्थिक हानि होती है।

इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता संग्रहण काल बहुत ही संवेदनशील होने से परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने में देरी होने से तेन्दू पत्ता व्यापारियों को हर समय अपने माल को शीघ्रतिशीघ्र सुरक्षित रूप से गोदामों तक अथवा गंतव्य स्थान पर पहुँचाने में असुविधा रहती है।

उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए नियमों में वर्णित व्यवस्था अनुसार परिवहन पत्र जारी करने वाले अधिकारी की अनुपस्थिति में अन्य अधिकारी/व्यक्ति को इस कार्य हेतु अधिकृत किया जावे ताकि तेन्दू पत्ता व्यापारियों को अनावश्यक असुविधा नहीं हो।

(2) क्रेताओं ने दर्शाया कि तेन्दू पत्ता संग्रहणकर्ता श्रमिक गड्डी में निर्धारित संख्या 50 पत्ते से काफी कम पत्तों की गड्डी लेकर आते हैं, इससे श्रमिकों व क्रेता में विवाद होता है तथा क्रेताओं को अनावश्यक नुकसान होता है, जबकि तेन्दू पत्ता नियमों में गड्डी की परिभाषा 50 पत्ते की ही परिभाषित है एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संग्रहण दर भी 50,000 तेन्दू पत्ते बीड़ी बनाने योग्य के लिए ही निर्धारित की जाती है। अतः मण्डल स्तर से क्षेत्रीय अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र की फड़ों का अधिक से अधिक भ्रमण करें तथा श्रमिकों को 50 पत्तों की गड्डी ही लेकर आने की ताकीद की जावे।

(3) क्रेताओं द्वारा यह अवगत करवाया गया कि इकाई के क्षेत्र में उनके द्वारा पत्ता संग्रहण का कार्य प्रायः 30 जून तक समाप्त कर दिया जाता है, अतः श्रमिकों के भुगतान संबंधी यदि कोई मामला हो तो उसकी सूचना 31 जुलाई तक रेंज अधिकारी के माध्यम से उन्हें मिल जानी चाहिये तथा रेंज कार्यालय से 31 जुलाई तक उनकी कार्य पूर्ण रिपोर्ट मण्डल कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि उनकी सिक्यूरिटी वापसी में कार्य पूर्ण रिपोर्ट के अभाव में विलम्ब नहीं होवें। उल्लेखनीय है कि कार्य पूर्ण रिपोर्ट में रेंज स्तर से वर्तमान लमसम पद्धति में पत्ते संग्रहण होने तथा श्रमिकों के भुगतान संबंधी रिपोर्ट ही प्रेषित की जानी होती है। जबकि विक्रय राशि जमा का कार्य मण्डल स्तर पर ही होता है। अतः कार्य पूर्ण रिपोर्ट में पत्ता संग्रहण एवं श्रमिकों के भुगतान तक की रिपोर्ट संग्रहण कार्य समाप्ति के तत्काल पश्चात् मण्डल कार्यालय में 31 अगस्त तक आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश प्रसारित करें।

(4) क्रेताओं द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कतिपय वन मण्डलों में उनके द्वारा अन्य क्रेताओं से पत्ता क्रय कर लिये जाने पर तथा विभाग की निर्धारित ट्रांसफर फीस जमा करवा दिये जाने के पश्चात् भी पूर्व क्रेता द्वारा अनावश्यक शिकायत किये जाने पर उनके पत्तों को परिवहन नहीं करने दिया जाता। ऐसी शिकायतों के संबंध में तत्काल प्रारम्भिक तौर से प्रकरण का अध्ययन कर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिये ताकि क्रेताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े ।

तेन्दू पत्ता संग्रहण एवं विपणन का कार्य एवं अल्प समय का संवेदनशील सामयिक कार्य है। अतः ऐसा प्रयास किया जावे कि नियमों की पालना भी सुनिश्चित हो तथा अनावश्यक रूप से तेन्दू पत्ता व्यापारियों को कठिनाइयाँ भी उत्पन्न नहीं होवें।

हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक,
विकास एवं साझा वन प्रबन्ध,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ4( )02/वउ/प्रमुवसं/3288 दिनांक 27.8.2002

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि तेन्दू पत्ता इकाइयों के व्ययन की स्वीकृति जारी होने के उपरान्त कुछ इकाइयों के क्रेताओं द्वारा उनको विक्रय की गई तेन्दू पत्ता इकाई में स्वयं के व्यय से तेन्दू वृक्षों का कर्षण कार्य (Cultural Operation) कराये जाने की अनुमति चाही जाती है।

इस संबंध में तेन्दू पत्ता का ''क्रेता का इकरारनामा'' के बिन्दु संख्या 6 में उल्लेख किया है कि ''यदि क्रेता नियुक्ति होने पर इकाई में सम्मिलित क्षेत्र में शाखा कर्तन (कल्चरल ऑपरेशन) करना चाहता है तो वह राज्य सरकार से कोई खर्च पाने के अधिकार के बिना तथा जब तक कि राज्य सरकार

अथवा उसके पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता द्वारा एकत्रित पत्ते क्रेता को परिदत नहीं किये जाते इकाई के पत्तों में राज्य सरकार के स्वत्वाधिकार पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कर सकेगा परन्तु शाखा कर्तन (कल्चरल ऑपरेशन) मण्डल वन अधिकारी द्वारा लिखित में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही तथा ऐसी अन्य विधि तथा ऐसी कालावधि के दौरान की जावेगी जैसा कि उनके द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाये।''

तेन्दू पत्ता की अच्छी किस्म और मात्रा में बढ़ोतरी के लिए प्रतिवर्ष विभागीय तौर पर भी तेन्दू के वृक्षों का कर्षण कार्य कराया जाता है। उपरोक्त कर्षण कार्य (कल्चरल ऑपरेशन) है। अतः तेन्दू पत्ता के वृक्षों के कर्षण कार्य (कल्चरल ऑपरेशन) के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रचलित किये जाते हैं :-

1. 15 से.मी. से अधिक गोलाई (वेसल गर्थ) की टहनियों को नहीं काटा जावे। कटाई तेज धार के औजार द्वारा पूरी सफाई से टहनी के साथ लगते हुए की जावे।
2. 25 से.मी. से अधिक गोलाई (चेस्ट हाईट) के वृक्षों को कापिस नहीं किया जावे।
3. छोटे पौधे जिनमें रूट सकर भी शामिल हैं, जो लगभग 15 से.मी. गोलाई (वेसल गर्थ) तक के हो, को भू-तल के बराबर से काटा जावे।
4. प्रूनिंग या कापिस कार्य माह फरवरी में कराया जावे। परन्तु 15 मार्च के बाद नहीं कराया जावे।
5. प्रूनिंग एवं कापिस कार्य तेज धारदार हल्के कुल्हाड़े खुखरी या चाकू से कराया जावे ताकि केम्बियम परत की क्षति नहीं हो। ट्रीपूनर्स का भी प्रयोग किया जा सकता है।
6. 15 से.मी. से 25 से.मी. गोलाई (वेसल गर्थ) के पेड़ों को नहीं काटा जाकर उनकी केवल शाखा कर्तन (प्रूनिंग) किया जावे।
7. कटे हुए ठूंठ व शाखाओं की तेज औजार से ड्रेसिंग किया जावे।
8. यथासम्भव तेन्दू के पेड़ों की जड़ों को जख्मी कर रूट सकर (Root Suckers) की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जावे। इस हेतु तेन्दू के मातृ वृक्षों (Mother Trees) के पास समुचित दूरी पर नीचे के ढाल की तरफ (Down Streamside) में उपयुक्त लंबाई की 30 मी. × 30 मी. साईज की अर्द्धचन्द्राकार ट्रेन्च खोदी जावे। ट्रेंच कन्टूर के साथ पानी के बहाव की विपरीत दिशा में खोदी जावे।
9. स्थानीय परिस्थितियों तथा बजट की उपलब्धता इत्यादि की अन्यथा परिस्थितियों में यथा आवश्यक समुचित परिवर्तन मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा किये जा सकते हैं। परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि कराये गये कार्य क्षेत्र में छितरे हुए न होकर एक ही क्षेत्र में लगातार हो तथा एक वन खण्ड (Forest Block) इस हेतु न्यूनतम इकाई हो। उपरोक्त सभी कार्य अनिवार्य रूप से विभागीय देखरेख में ही सम्पन्न किया जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

PRESCRIPTION FOR CULTURAL OPERATION IN TENDU TREES

1. No Branch above 15 cms. girth (6" girth or 2" diameter) at the base should be pruned. Pruning should be done flush with the branch.
2. No tree over 25 cms. in girth at chest height should be coppice.
3. Coppicing of small plants includes root-sucker say upto 15 cms. basel girth should be done flush with the ground.
4. Plants 15 to 25 cms. basel girth shall not to cut back but they be pruned.
5. Pruning or coppicing be done in February but not later then 15th March.
6. Coppicing and pruning should be done by short axe, khukhri, pruning knife without injuring the cambium

layer. Tree prunes (poaches) can also be tried.

7. The stumps or the branches seats should be well dressed with a sharp implement.

8. Where possible root-suckers be induced by injuring the roots of the parent tree. This should be done by digging suitably sized crescent shaped trench (1 meter long 0.3 meter vide) along the contour and against the direction of flow of water.

9. If exigencies of local circumstances so warrant funds restrict the working, the prescription may be suitably modified but wherever the cultural operations in tendu trees are under taken they should be contiguous and not haphazard. A forest block should be the minimum unit of working.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, वन भवन, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ4( )प्रमुवसं/02/वउ/ 4876-81 दिनांक 29.1.2003

विषय :- अकाल राहत कार्यों में तेन्दू वृक्षों का कर्षण कार्य कराये जाने बाबत्।

महोदय,

तेन्दू पत्ता का उत्पादन बढ़ाये जाने के लिए समय-समय पर तेन्दू वृक्षों का कर्षण कार्य (कल्चरल ऑपरेशन) कराये जाने का अत्यधिक महत्व है। किन्तु राज्य सरकार से इस हेतु आवश्यक राशि प्राप्त करने में उत्तरोत्तर कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में अकाल राहत कार्यों के तहत अधिकांश जिलों में अकाल राहत कार्य कराये जा रहे हैं। अतः तेन्दू पत्ता कर्षण कार्यों के लिए भी संबंधित जिला कलेक्टरों को प्रस्ताव अग्रेषित कर एवं व्यक्तिगत संपर्क कर अधिक से अधिक संभव क्षेत्रों में कर्षण कार्य कराये जाने के पूर्ण प्रयास किये जायें। यदि क्लोजर निर्माण, पुराने वृक्षारोपणों का संधारण, जल ग्रहण परियोजनाओं के तहत किये जाने वाले कार्य आदि पूर्व से अकाल राहत कार्यों के तहत अथवा इनको डोवटेल करके कराये जा रहे हों एवं ऐसे क्षेत्रों में तेन्दू वृक्ष उपलब्ध हों तो ऐसे क्षेत्रों में भी तेन्दू पत्ता कर्षण कार्य कराये जाने का विशेष ध्यान दिया जाये।

यदि जल ग्रहण परियोजनाओं के तहत तैयार की गई विस्तृत परियोजनाओं के प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) में कर्षण कार्य का प्रावधान नहीं रखा हो तो अब ऐसे प्रावधान जोड़े जायें क्योंकि अधिकांशतः जल ग्रहण कार्य अब अकाल राहत कार्यों के तहत डोवटेल करके किये जा रहे हैं। अतः ऐसे डी.पी.आर. का संशोधन किया जाना वांछनीय होगा, जिससे तेन्दू पत्ता कर्षण कार्यों को भी प्रावधानों में सम्मिलित किया जाना आसानी से सम्भव हो सकेगा।

विशेषतः उल्लेख है कि क्लोजर निर्माण अथवा वृक्षारोपण संधारण आदि कार्य किसी वनखण्ड में सीमित क्षेत्र में ही किये जा रहे हों तो भी तेन्दू पत्ता कर्षण कार्यों के प्रावधान इस प्रकार रखे जायें कि वे संबंधित गाँव की पूरी सीमा में आने वाले तेन्दू वृक्षों में किये जा सकें।

तेन्दू कर्षण कार्य कराये जाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस कार्यालय के परिपत्र संख्या एफ4( )02/वउ/ प्रमुवसं/3288 दिनांक 27.8.2002 से जारी किये जा चुके हैं एवं ये कार्य 15 मार्च तक ही कराये जा सकते हैं, अतः इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

आपके द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही एवं तेन्दू कर्षण किये जाने हेतु स्वीकृत कराये गये कार्यों की सूचना दिनांक 15.2.2003 तक इस कार्यालय को भिजवावें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, वन भवन, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ4(7)2000/प्रावे/ प्रमुवसं/तेपयो/211 दिनांक 16.2.2006

तेन्दू पत्ता इकाइयों के विक्रय हेतु खोली गयी प्रथम निविदा दिनांक 31.1.2006 को उदयपुर वृत्त कार्यालय पर उपस्थित तेन्दू पत्ता व्यापारियों द्वारा मुख्य वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता योजना, जयपुर से विचार-विमर्श अनुसार तेन्दू पत्ता व्यापार में निम्नांकित कठिनाइयां आना मुख्य रूप से दर्शाया गया :-

1. तेन्दू पत्ता संग्रहणकर्ता श्रमिकों द्वारा तेन्दू पत्तों की गड्डी में अत्यधिक कम पत्ते लाना।
2. परिवहन अनुज्ञा-पत्रों का समय पर नहीं मिलना।
3. क्रेताओं की अमानत राशि समय पर नहीं लौटाया जाना तथा क्रेता कार्यपूर्ण रिपोर्ट की समाप्ति बाबत्।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु इस कार्यालय स्तर से पूर्व में भी समय-समय पर जारी दिशा- निर्देशों यथा पत्र संख्या 484-513 दिनांक 15.3.2002, 218-24 दिनांक 28.1.2003 एवं 4876 दिनांक 29.1.03 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पुनः निर्देश निम्नानुसार दिये जाते हैं :-

1. तेन्दू पत्ता व्यापारियों ने दर्शाया कि तेन्दू पत्ता संग्रहणकर्ता श्रमिक गड्डी में निर्धारित संख्या 50 पत्ते बीड़ी बनाने योग्य से काफी कम पत्तों की गड्डी लेकर आते हैं, जिससे श्रमिकों एवं क्रेता में विवाद होता है, इससे क्रेता को नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि तेन्दू पत्ता नियमों में गड्डी की परिभाषा 50 पत्ते की ही परिभाषित है एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संग्रहण दर भी 50,000 तेन्दू पत्ते बीड़ी बनाने योग्य के लिए ही निर्धारित की जाती है। अतः मण्डल स्तर से क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को यह निर्देश देवें कि वे अपने कार्य क्षेत्र की फड़ों का अधिक से अधिक भ्रमण करें तथा श्रमिकों को 50 पत्तों की गड्डी ही लेकर आने की ताकीद की जावे तथा जो श्रमिक गड्डी में पत्तों का संख्या कम लाते हैं, उनको सख्ती से समझाईश की जावे ताकि क्रेताओं को नुकसान नहीं होवे। इसके अतिरिक्त वनपाल स्तर तक के समस्त कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिये जावें कि वे अपने दौरों के दौरान रेण्डम तरीके से तेन्दू पत्तों की कुछ गड्डियां अवश्य ही गिनकर चैक करें और यह सुनिश्चित करें कि उनमें 50 तेन्दू की पत्तियां अवश्य हों।
2. तेन्दू पत्ता व्यवसाय अत्यन्त संवेदनशील होने से परिवहन अनुज्ञा-पत्र समय पर जारी होना नितान्त आवश्यक होता है। अतः मण्डल स्तर पर राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन), नियम 1974 तथा (संशोधित) नियम 1983 के क्रम संख्या 4 नियम-4 का संशोधन का भली भांति अध्ययन किया जाकर उक्त कार्य को सुगम बनाया जावे ताकि किसी एक ही व्यक्ति पर कार्य आधारित नहीं रहे तथा मुख्य अधिकारी की किसी भी कारणवश अनुपस्थिति की अवधि में अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्य समय पर पूर्ण हो सके एवं पत्ता समय पर सुरक्षित गंतव्य स्थान पर गोदामों में पहुँच सके।
3. उक्त प्रकरण में पूर्व में भी निर्देश दिये गये थे कि क्रेताओं द्वारा पत्ता संग्रहण कार्य माह जून के अन्तिम सप्ताह में समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र माह जुलाई में पत्ता संग्रहण कार्यपूर्ण किये जाने की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रों से आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे तथा तत्पश्चात् विक्रय राशि, जो कि मण्डल स्तर पर ही जमा करवायी जाती है, के संबंध में टिप्पणी दी जाकर जिन क्रेताओं से सम्पूर्ण विभागीय राशि जमा हो चुकी हो, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र उनकी अमानत राशि लौटाने, बैंक गारंटी मुक्त करने आदि का कार्य तत्परता से किया जावे, ताकि व्यापारियों की राशि विभाग के पास ज्यादा समय पड़ी नहीं रहे तथा वे उक्त राशि का अन्यत्र उपयोग सुनिश्चित कर सकें। आप अपने निकटवर्ती राज्य से यह सूचना भी प्राप्त कर भिजवावें कि क्या उनके राज्य में क्रेताओं से कार्यपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है अथवा नहीं, यदि ऐसी रिपोर्ट की प्रति अथवा इस संबंधी कोई आदेश हो तो उसकी प्रति भी भिजवावें।
4. कृपया पूर्व पत्र 4876-81 दिनांक 29.1.2003 का अवलोकन करें तथा तेन्दू पत्ता वृक्षों में कर्षण कार्य करवाये जाने के बारे में पूर्व निर्देशों के अनुरूप अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत यदि हो सके तो जिला कलेक्टरों को प्रस्ताव प्रेषित कर तेन्दू वृक्षों के क्षेत्रों में कर्षण कार्य करवाये जाने के प्रयास किये जावें ताकि पत्ते की किस्म एवं मात्रा में वृद्धि हो सके जिसका लाभ व्यापारियों को प्राप्त हो सके। विभाग के पास उपलब्ध

बजट आपकी मांग अनुसार शीघ्र ही आवंटित किया जा रहा है। कृपया समय पर कर्षण कार्य सम्पादित करावें।

चूंकि तेन्दू पत्ता संग्रहण एवं विपणन कार्य एक अल्प समय का सामयिक एवं संवेदनशील कार्य है। अतः ऐसा प्रयास किया जावे कि नियमों की पालना भी सुनिश्चित हो जावे तथा अनावश्यक रूप से तेन्दू पत्ता व्यापारियों को कठिनाइयां भी उत्पन्न नहीं होवें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, वन भवन, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ( )प्रमुवसं/991 दिनांक 12.5.2008

तेन्दू पत्ता इकाइयों के बेचान के पश्चात् पत्तों का संग्रहण काल शीघ्र ही प्रारम्भ होने जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कार्य पूर्ण उत्साह लगन से संबंधित वन मण्डल अधिकारी द्वारा अपने नियंत्रणाधीन स्टाफ द्वारा करवाया जाना है।

इस वर्ष 2008 के लिए तेन्दू पत्ता वन क्षेत्रों की कुल 183 इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इन इकाइयों का लगभग अग्रिम व्ययन किया जा चुका है। वन मण्डल झालावाड़ में कुछ इकाइयों में क्रेता बैंक आउट होने की स्थिति बनी हुई है। ऐसी इकाइयों के क्रेताओं की जमा बयाना राशि का शीघ्र ही अधिहरण कर इकाइयों के पुनः व्ययन करने हेतु नीलामी नोटिस जारी कर इकाइयों के व्ययन की कार्यवाही समय रहते की जावें।

योजना की सफलता के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये-

1. पंजीकरण - सभी वन मण्डलों में वर्ष 2007-08 हेतु पंजीकृत तेन्दू पत्ता व्यापारियों का दिनांक 31 मार्च, 2008 नवीनीकरण करवाना सुनिश्चित किया जावे। जिन व्यापारियों द्वारा 16 अप्रैल, 2008 तक भी शास्ती राशि जमा करवा कर पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करवाया गया हो, उनके विरूद्ध नियम 8(7) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा जावें। सभी पंजीकृत व्यापारियों से नियमों में निर्धारित अनुसार 15 अप्रैल एवं 30 सितम्बर को स्टॉक विवरणियां प्राप्त की जावें। यह विशेष तौर से ध्यान रखा जावे कि जिन क्रेताओं द्वारा वन मण्डल में इकाइयां क्रय की गई हैं, उनका वर्ष 2008-09 के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण हो जावे।

2. क्रेता नियुक्ति के संबंध में :-

   (अ) विक्रय की गई सभी इकाइयों के क्रेताओं से स्वीकृति जारी होने के 15 दिवस में शेष 15 प्रतिशत सिक्यूरिटी राशि जमा करवाकर इकरारनामे संपादित करवाये जा चुके होंगे। सिक्यूरिटी की 15 प्रतिशत राशि नियमानुसार जरिये ड्राफ्ट अथवा बैंक गारन्टी से प्राप्त की जा सकती है। इसके पश्चात् पत्ता संग्रहण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही सभी क्रेताओं को कार्य आदेश समय पर दिया जाना सुनिश्चित करावें। कार्य आदेश में ही तेन्दू पत्ता एकत्रीकरण संबंधी निर्देश एवम् विक्रय राशि तथा वेटकर/आयकर आदि वांछित राशि जमा करवाने के तिथि युक्त निर्देश देवें ताकि समय पर राशि जमा होना सम्भव हो सके।

   (ब) उल्लेखनीय है कि विक्रय राशि जमा करवाने हेतु क्रेता इकरारनामे की शर्त संख्या 4(ग) एवं (घ) में समुचित उल्लेखानुसार संपूर्ण विक्रय राशि/संपूर्ण विक्रय राशि की बैंक गारन्टी (जो 15 मई तक प्रस्तुत करनी है) 45 प्रतिशत की बैंक गारन्टी (जो 15 मई तक प्रस्तुत करनी है)/आंशिक क्रय मूल्य 10 प्रतिशत जमा करवाकर (जो 15 तक जमा कराना होगा) सम्मिलित अभिरक्षा में पत्ता रखने का स्पष्ट उल्लेख कार्य आदेश में किया जावे।

   (स) सभी क्रेताओं को कार्य आदेश में यह भी निर्देश दिया जावे कि श्रमिकों से पत्ता प्राप्त करने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संग्रहण दर 375/- रुपये प्रति मानक बोरा से ही भुगतान किया जावेगा। क्रेता द्वारा फड़ पर संग्रहण दर को प्रदर्शित किया जावे जिससे श्रमिकों को स्पष्ट विदित हो सके कि उन्हें देय पारिश्रमिक की दर क्या है? किसी भी क्रेता द्वारा यदि फड़ों पर निर्धारित राशि से अधिक संग्रहण

दर का भुगतान किया जाकर पड़ोसी क्रेताओं की इकाई से पत्ता संग्रहण करवाया जाना विदित होवे तो इस पर तत्काल विभागीय स्तर से रोक लगाई जावे तथा अवैध रूप से तेन्दू पत्ते को जप्त राज किया जावे। उक्त प्रकरण में संग्रहण काल में सघन निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल गठित किया जावे एवं यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संग्रहणकर्ता श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक क्रेता द्वारा समय पर चुकाया जावे एवं नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर ऐसे क्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

(द) एकत्रित पत्ता बोरों में भरवाया जावे तो बोरों पर पत्तों की मात्रा इकाई एवं फड़ का नाम अवश्य अंकित किया जावे।

3. पत्ता संग्रहण के संबंध में :-

(अ) क्रेता को पत्ते की दैनिक आमद को दर्ज करने हेतु फार्म नम्बर 6 एवं साप्ताहिक संग्रहण रिपोर्ट हेतु फार्म नम्बर 10 की आपूर्ति की जावे एवं उक्त फार्मों को नियमित रूप से संधारित करने की सख्त हिदायत दी जावे एवं फार्म नम्बर 6 में किये गये भुगतान की पावती रसीद आवश्यक रूप से ली जावे।

(ब) केवल उन्हीं फड़ों से संग्रहण किया जावे जिनका कि प्रकाशन राजपत्र में हो चुका है। यदि किन्हीं परिस्थितिवश अतिरिक्त फड़ लगाई जानी होवे तो क्रेता के आवेदन के पश्चात् मण्डल वन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वीकृति जारी की जावे कि नई लगाई जा रही फड़ से समीपवर्ती इकाई के क्रेताओं को किसी तरह की हानि नहीं होवे।

(स) तेन्दू पत्ता संग्रहण कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यपूर्ण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर क्षेत्रीय वन अधिकारी से एक सप्ताह की अवधि में प्राप्त की जावे। संग्रहण कार्य किन्हीं भी परिस्थितियों में 30 जून के पश्चात् नहीं करवाया जावे।

4. विभागीय संग्रहण के संबंध में - यदि किन्हीं परिस्थितियों में किसी इकाइयों से पत्ता संग्रहण करवाया जावे तो ऐसी इकाइयों के पत्तों के संग्रहण हेतु समस्त वांछित कार्यवाहियां संग्रहण काल प्रारम्भ होने से पूर्व ही करवाई जावे ताकि समय पर संग्रहण कार्य हो सके। यदि विभागीय संग्रहण कार्य अलाभकारी होवें तो इसके प्रस्ताव समय रहते अपने नियत्रक वन संरक्षक के माध्यम से व्यक्तिशः उच्च कार्यालय को भिजवावें ताकि समय रहते उसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जा सके।

5. गोदामों का बीमा - जिन इकाइयों में अग्रिम विक्रय के पश्चात् संग्रहित पत्ता यदि क्रेता एवं विभाग की सम्मिलित अभिरक्षा में रखा हो तो ऐसे क्रेता को तत्काल पत्तों की कीमत के बराबर की राशि का बीमा करवाकर देने हेतु पाबन्द करें। विभागीय गोदाम की स्थिति में बीमे की राशि में गोदाम की निर्माण लागत भी सम्मिलित की जावे। विभागीय गोदामों के लिए यदि विभागीय तौर से संग्रहित पत्ता भण्डार हेतु उपलब्ध नहीं है तो ऐसे गोदामों को किराये पर देने हेतु पूर्व वर्षों की भाँति निविदाएं आमंत्रित कर उच्चतम राशि की निविदादाता को गोदाम किराये पर दिये जावें।

6. क्रेताओं से विक्रय राशि वसूली के संबंध में - क्रेता से इकरारनामे की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा अपनाए गए विकल्प के अनुरूप संपूर्ण राशि मय वांछित करों की राशि सहित वसूल की जावे। यदि क्रेता द्वारा संग्रहण कार्य संग्रहणकाल समाप्त होते ही संपूर्ण राशि जमा करवाकर पत्ते का निकास किया जाता है तो वांछित करों की राशि भी विक्रय राशि के साथ वसूल की जावे । यदि क्रेता द्वारा संपूर्ण विक्रय राशि 100 प्रतिशत राशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत की गई है तो वांछित करों की राशि वसूली के पश्चात् पत्ता परिवहन करने की इजाजत दी जावे। विक्रय राशि तीन बराबर किश्तों में 1 अक्टूबर, 1 नवम्बर एवं 1 दिसम्बर को वसूल की जावे। वेटकर एवं आयकर नियमों के अनुसार वांछित करों की राशि पत्ता परिवहन से पूर्व ही वसूली योग्य है। यदि क्रेताओं द्वारा किश्तों की निर्धारित तिथियों को भुगतान नहीं किया जावे तो बैंक से वांछित राशि मय ब्याज वसूल की जावे। क्रेताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी की पुष्टि बैंकों से तत्काल आवश्यक रूप से की जावे। तेन्दू पत्ते से संबंधित सभी जमा की जाने वाली धनराशि को इस कार्य से जारी पूर्व आदेश संख्या 2940- 72 दिनांक 10.11.1998, 813-50 दिनांक 8.7.1999 एवं 250-285 दिनांक 10.5.2000 से दिये निर्देशानुसार वित्तीय नियमों के अनुरूप जमा ली जावे।

7. परिवहन अनुज्ञा पत्र के संबंध में - तेन्दू पत्ते के व्यापार का विनियमन नियम 1974 के नियम 4 में वर्णित विधि अनुसार परिवहन अनुज्ञा पत्र क्रेता के मांग अनुसार जारी की जावे।

उक्त नियमों में वर्णित नियमों के अनुसार सभी प्रकरण के परिवहन अनुज्ञा पत्रों को जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा अन्य किसी निम्न स्तर के अधिकारी अथवा व्यक्ति को अधिकृत करने का प्रावधान है। इस हेतु संबंधित मण्डल वन अधिकारी अधिकृत हैं। अतः वे स्वयं ही

अनुपस्थिति में कार्यालय में कार्यरत अन्य अधिकारी को अधिकृत कर सकते हैं ताकि समय पर परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी हो सके ताकि क्रेताओं को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।

8. तेन्दू पत्ते से प्राप्त शुद्ध आय ग्राम पंचायतों को जिला परिषदों के माध्यम से वितरण करने के संबंध में - राज्य सरकार के आदेश संख्या प15(35)वन/97/दि0 17.7.2003 के अनुरूप तेन्दू पत्ता से प्राप्त शुद्ध आय ग्राम पंचायतों को जिला परिषदों के माध्यम से वितरित की जानी है, अतः इस हेतु तेन्दू पत्ता इकाइयों की फड़वार पत्ता संग्रहण की सूचना उपलब्ध होना आवश्यक है। अतः आप द्वारा इकाई गठन के समय प्रस्तुत पंचायतवार फड़ों के संग्रहण की सूची में संग्रहित पत्तों की मात्रा अंकित करते हुए सूची तैयार करावें।

9. क्रेताओं की जमा सिक्यूरिटी राशि एवं बैंक गारंटी लौटाने के संबंध में - तेन्दू पत्ता संग्रहण काल समाप्ति पर क्रेता की कार्यपूर्ण रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के पश्चात् क्रेताओं को जमा सिक्यूरिटी राशि तत्काल लौटाने की कार्यवाही की जावे तथा संपूर्ण विक्रय राशि एवं वांछित करों की राशि जमा करवाये जाने के पश्चात् तत्काल उनकी जमा बैंक गारन्टियां रिलीज की जावें ताकि तेन्दू पत्ता व्यापारियों से किसी तरह का असंतोष नहीं होवे।

10. तेन्दू वृक्षों में कर्षण कार्य करवाने बाबत् - तेन्दू के वृक्षों में कर्षण कार्य प्रायः फरवरी के अन्तिम सप्ताह एवं मार्च के प्रथम सप्ताह में करवाये जाते हैं। इस हेतु पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4876-81 दिनांक 29.1.2003 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार यह कार्य अकालराहत कार्यों के अन्तर्गत तथा जलग्रहण परियोजनाओं के तहत तेन्दू पत्ता कर्षण कार्य करवाये जाने के प्रस्ताव के प्रावधान सम्मिलित किये जाने थे किन्तु इस संबंध में प्रगति नगण्य रही है। अब पूर्व पत्रों के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (नरेगा) के अन्तर्गत तेन्दू पत्ता इकाइयों में कल्चर कार्य करवाये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये थे। अतः उक्त निर्देशों के अन्तर्गत अधिक से अधिक कल्चर ऑपरेशन के प्रस्ताव तैयार कर तेन्दू वृक्षों में कर्षण कार्य अधिक से अधिक मात्रा में करवाये जाने के प्रयास किये जावें तथा करवाये गये कार्यों का विस्तृत विवरण मुख्य वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता योजना, जयपुर को भिजवावें ताकि प्रगति की जानकारी हो सके।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर